न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा

पत्रावली संख्या : 15/2025 (अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

उनवान

श्री विजयशंकर पुत्र ब्रदीलाल जाति धाकड निवासी रजोपा तह0पीपल्दा,जिला कोटा

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपल्दा, जिला कोटा

(प्रतिपक्षी)

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय दिनांक: 8/10/25

1– अपीलार्थी श्री विजय शंकर पुत्र ब्रदीलाल जाति धाकड निवासी रजोपा तह0 पीपल्दा, जिला कोटा मो0नं. 9929473916 द्वारा यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इस बाबत् प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 4.09.25 को लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार पीपल्दा के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना प्राप्त नही हुई है। अतः चाही गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

2– अपीलार्थी की अपील पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपल्दा, जिला कोटा से टिप्पणी/जवाब हेतु उन्हें पत्रांकः रीडर/एडीएम/2025/441 दिनांक 12.09.2025, से लिखा गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपल्दा द्वारा अपने पत्रांक /आरटीआई/2025/1460 दिनाक 9.10.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी को भी न्यायालय द्वारा प्रस्तुत इस अपील में सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिऐ सूचना पत्र कमांक 442 दिनांक 15.09.2025 भिजवाया गया,। अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही हुए।

3.– पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/टिप्पणी मे अंकित किया है कि अपीलार्थी को उक्त सूचना कार्यालय के पत्रांक/एलआर/2023/45–91–95 दिनांक 20.

9.2023 की मूल प्रति मय संलग्न दस्तावेज प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय से दस्ती प्राप्तकी गई है। प्राप्तकर्ता के जावक रजिस्ट्रर में हस्ताक्षर है।

पत्रावली में अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एव तहसीलदार पीपल्दा द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होने से खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपल्दा को भिजवाई जावे।

(विरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
एंव प्रथम अपीलीय
अधिकारी कोटा,जिला
कोटा
अति. जिला कलक्टर
कोटा